विज्ञान संघों की मांगः बुनियादी विज्ञान पर शोध हो

दुनिया भर में यह प्रवृत्ति देखी जा रही है कि सरकारें अपने वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं पर दबाव बना रही हैं कि वे ऐसे शोध को प्राथमिकता दें, जिनसे आर्थिक लाभ मिलें और जल्दी मिलें। फ्रांस के एक प्रमुख वैज्ञानिक संघ ने चेताया है कि इस प्रवृत्ति के चलते कई देशों में वैज्ञानिकों की अकादमिक स्वतंत्रता पर आंच आ रही है।

फ्रेंच नेशनल ट्रेड यूनियन ऑफ साइंटिफिक रिसर्चर्स के महासचिव पैट्रिक मॉनफोर्ट का कहना है कि कई बार बजट कटौतियों को समस्या की जड़ बताया जाता है मगर वास्तविक समस्या यह है कि सरकारों ने पूरा ध्यान ऐसे शोध कार्य पर केंद्रित कर दिया है जो सीधे-सीधे उपयोगी साबित हो। इस तरह के शोध का मकसद उपभोग और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का होता है।

दरअसल, मॉनफोर्ट ये बातें फ्रांस व अर्जेंटाइना, कनाडा, डेनमार्क, इटली, पुर्तगाल, रूस, सेनेगल, सर्बिया, स्पैन, यू.के. और यू.एस. जैसे 11 अन्य देशों में यूनियन द्वारा किए गए उच्च शिक्षा व अनुसंधान संगठनों के एक सर्वेक्षण के आधार पर कह रहे हैं।

सर्वेक्षण में जिन संगठनों ने अपने मत व्यक्त किए वे सभी एजूकेशन इंटरनेशनल नामक एक महासंघ के सदस्य हैं। 171 देशों के 401 शिक्षक संगठन इस महासंघ के सदस्य हैं। मॉनफोर्ट का कहना है कि इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर अब नवंबर में घाना की राजधानी अकरा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जहां इस समस्या से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान की रूपरेखा बनाई जाएगी।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि हालांकि वित्तीय रुझान हरेक देश में अलग-अलग होते हैं मगर सारे मामलों में यह देखा जा रहा है कि शोध संस्थानों को इस तरह पुनर्गठित किया जा रहा कि उन पर सरकार का शिकंजा मज़बूत हो। मॉनफोर्ट के मुताबिक कनाडा में तो स्थिति और भी कठिन है क्योंकि वहां सरकार फंडिंग में तो कंजूसी बरत ही रही है, साथ में वैज्ञानिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी अंकुश लगा रही है।

वैसे अनुसंधान की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक बने हैं मगर सिर्फ वैज्ञानिकों के संगठन ही इन्हें गंभीरता से लेते हैं। बहुत ही कम सरकारें इनको ज़्यादा तवज्जो देती हैं। अधिकांश देश और सरकारों की अंतर्राष्ट्रीय समितियों का पूरा ज़ोर तात्कालिक आर्थिक लाभ पर होता है। वैसे यूनेस्को ने 1974 में शोधकर्मियों की स्थिति के सम्बंध में कुछ सिफारिशें स्वीकृत की थीं और अब वह एक बार फिर इस विषय पर विचार-विमर्श करके 2017 में इनमें संशोधन करने पर विचार कर रहा है। ***(स्रोत फीचर्स)***